संसाधन पुस्तिका

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

शिक्षा

1.शिक्षा

शिक्षा प्राप्त करना इन्सान का एक मौलिक अधिकार है व शिक्षा समाज के सभी वर्गो , धर्मो ,जातियों, तथा महिला–पुरूषों जिसमें विकलांग व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को जानकार व जागरूक करने का सबसे सशक्त माध्यम है । इस शिक्षा के अधिकार को पूरा करने के लिए सरकार वर्षों से प्रयासरत् है तथा कोई भी बच्चा इस अधिकार से वंचित न हो इसके लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं । शिक्षा केवल विद्यालय जाना ही नही है बल्कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा कैसे सीखेगा यह भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है । उच्च शिक्षा को भी अब इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि कभी भी, किसी भी आयु में, व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है ।

6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो 'अनिवार्य शिक्षा' कानून भी है, जिसके अन्तर्गत् 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा कक्षा 1 से 8 वीं तक अनिवार्य व निःशुल्क है । शिक्षा की पहुॅंच प्रत्येक व्यक्ति तक हो इसके लिए सरकार कई विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएॅं चला रही है, जो इस प्रकार हैं :

1.1 महिला एवं बाल विकास विभाग

समेकित बाल विकास योजना

0–6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के समेकित विकास के लिए प्रत्येक गॉव में ऑगनवाडी केन्द्र खोले गये हैं। 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें तीन वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल व सीखने के लिये आकर्षित व उत्तेजित करना तथा 3 स 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये आनन्दायक सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है।

प्रक्रिया

सर्वप्रथम 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का ऑगनवाडी कार्यकर्त्ता के द्वारा पंजीकरण किया जाता है उसके बाद उन्हें केन्द्र पर बुलाकर उनका माप–तौल व अन्य जॉच स्वास्थ्य व पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज की जाती है। 3–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक केन्द्र पर बुलाकर उनके साथ पूर्व शिक्षा का कार्य होता है। खेल कराये जाते हैं तथा खाने की वस्तुएॅं केन्द्र पर खाने के लिए वितरित की जाती हैं व खाना खाना सिखाया जाता है ।

यह सभी सुविधाएॅं विकलांग बच्चों के लिए भी हैं ।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बात करने के लिए निम्नलिखित पता है :

श्रीमती शकुन्तला,
बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी,
प्रथम तल, कमरा न. 33,
समेकित बाल विकास कार्यालय,
पंचायत भवन, बल्लभगढ़,
फरीदाबाद
फोन नम्बर– 9310063936

अगर ब्लॉक स्तर पर भी समस्या का समाधान न हो तो जिला स्तर पर जानकारी ले सकते हैं व शिकायत कर सकते हैं जिसका पता है

श्रीमती कमलेश भाटिया,
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सै0– 15 ए, पुराने ए.डी.सी. कार्यालय के पास,
फरीदाबाद, फोन नम्बर– 0129–2222138, 9999367552

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, जिला विकास कार्यक्रम अधिकारी को 10 रूपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है ।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बताने होंगे, जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से आप यदि संतुष्ट नही हैं तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज 15–20, सैक्टर–4, पंचकूला,
हरियाणा
फोन नम्बर–0172–2560349
Email: **wcd@hry.nic.in**

नोट : जो भी पत्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.2 शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग समाज में शिक्षा के प्रसार व प्रचार के लिए कई भागों में विभाजित हो कर कार्य कर रहा है, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खंड, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा खंड, उच्च व तकनीकी शिक्षा खंड हैं।

1.2 अ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खंड

यह खंड 6 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 14 वर्ष तक बच्चों की पहली से आठवीं तक की शिक्षा के जिए जिम्मेदार है।

6 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 14 वर्ष तक के सभी बच्चे पढ़ें व विद्यालय मे जायें, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया गया है, जो कि हरियाणा राज्य में भी लागू है । इस कानून के तहत् 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिल मिलेंगे तथा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा ।

प्रक्रिया

सरकारी विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया कक्षा 1 से 5 वीं तक तो पूरे वर्ष चलती है। वर्ष में एक बार सरकारी विद्यालयों के अध्यापक शिक्षा सर्वे प्रत्यके गॉव में करते हैं, कि कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नही है जिसमें विकलांग बच्चें भी सम्मिलित हैं । यदि कोई ऐसा बच्चा मिलता है ,जो किसी भी विद्यालय में पंजीकृत नही है, उसका दाखिला आयुनसार कर लिया जाता है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग व विकलांगता वाले बच्चे हों। 6–8 वीं कक्षा के दाखिले केवल अप्रैल, मई तथा जुलाई में ही होते हैं । प्राथमिक एवमं माध्यमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय तो प्रत्येक गॉव में हैं व माध्यमिक विद्यालय उसी गॉव या नजदीकी गॉव में हैं । हर सरकारी स्कूल में ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया होती है।

दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेज–

- बच्चे का आधार कार्ड
- राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता–पिता/अभिभावक के स्थाई पते का साक्ष्य प्रमाण

सरकारी विद्यालय में मिलने वाली सुविधायें :

निःशुल्क वर्दी व किताबें एवं अन्य स्टेशनरी वर्ष में एक बार विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलती है व जाति तथा विकलांगता आधारित छात्रवृत्ति मिलती है जो प्रत्येक कक्षा में अलग–अलग है ।

सरकारी विद्यालयो में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

कक्षा 1 से 5 वीं तक 400 रूपए प्रति माह

कक्षा 6 से 8 वीं तक 500 रूपए प्रति माह

यदि कोई छात्र वर्ष के बीच स्कूल में प्रवेश का फॉर्म भरता है तो उसे जब से प्रवेश हुआ है तब से वजीफा मिलता है बजाय पूरे वर्ष के मिलने के । बैंक खाता होना आवश्यक है ।

शिक्षा का अधिकार के तहत् –सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विकलांग बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएँ निम्न हैं :

1. सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विकलांग विद्यार्थियों के लिए राजकीय कन्या उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ,तिगांव रोड, बल्लभगढ़ में संसाधन कक्ष की व्यवस्था की गई है।
2. विशेष अध्यापकों द्वारा विकलांग विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक शिक्षा की व्यवस्था है।
3. वर्ष में एक बार मेडिकल कैम्प का अयोजन केवल विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चो के लिए ।
4. मेडिकल कैम्प में विकलांगता प्रमाण पत्र , रेलवे कन्सैशन , बस पास व सहायक उपकरण प्रदान किए जाते है ।
5. ब्लॉक स्तर , जिला स्तर ,व राज्य स्तर पर खेल आयोजन ।
6. कक्षा 1 से 12 तक के अधिक विकलांगता वर्ग के विकलांग विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता प्रदान करना ।

7. विकलांग विद्यार्थियों व अनुसूचित जाति/पिछडा वर्ग जाति के विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति ।
8. खण्ड ,जिला व राज्य स्तर पर खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन ।
9. मई महीने में शैक्षणिक भ्रमण का अयोजन ।
10. अभिभावक परामर्श व जागरूकता शिविर का अयोजन ।
11. विकलांग बच्चो के शिक्षा हेतु सामान्य अध्यापकों को प्रशिक्षण ।
12. गृह आधारित शिक्षा का प्रावधान ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधाएँ सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्राप्त करने के लिए ग्राम स्तर पर विद्यालयों में आने वाली सम्बन्धित संसाधन अध्यापिकाओं से सम्पर्क कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं–

श्रीमती सरला – 9911810370 (दयालपुर)
श्रीमती अमर ज्योति –9818237292 (बीजोपूर ,लदियापुर)
श्रीमती मधु
श्रीमती वर्षा – 9716971271
श्रीमती लक्ष्मी –8130143120
श्रीमती अकविन्दर कौर – 9540492839

यदि और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है या ग्राम स्तर पर समस्या का समाधान नही होता है, तो इसके बाद ब्लॉक स्तर पर आई.ई.डी. इन्चार्ज से मिलें । जिनका पता है :

श्रीमती स्नेहलता कौल,
राजकीय उच्च वरिष्ठ बालिका विद्यालय,
तिगॉव रोड, (पंचायत भवन के पास)
बल्लभगढ, फरीदाबाद
फोन नम्बर –9211766558

मिलने का समय– सुबह 8.30 से दोपहर 2.00 बजे तक

छात्रवृत्ति लेने की प्रकिया

अध्यापक या संसाधन अध्यापक विद्यालयों मे पढने वाले छात्र के वजीफे का फॉर्म भरते हैं अन्यथा आई.ई.डी. इन्चार्ज राजकीय वरिष्ठ आदर्श कन्या विद्यालय ,तिगॉव रोड, बल्लभगढ़ के पास वजीफे का फॉर्म भरना होता है या सामाज कल्याण विभाग , सैक्टर – 12 , कमरा न. –5 से लेना होता है । इन दोनो स्थानों में से किसी एक स्थान से फॉर्म लेकर भरना है, फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संग्लन करने हैं :

- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय का एफीडेबिट – महीने की आय 10,000 रू से कम होनी चाहिए
- आधार कार्ड
- स्टेट बैंक आफ इंडिया में बच्चे का खाता होना चाहिए
- दाखिला होते ही बैंक खाता होना चाहिए

इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग सें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक एलीमेन्टरी एजुकेशन अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) से मिले जिनका नाम व पता है–

श्रीमति अनिता शर्मा (बी.ई.ई.ओ.),
शिक्षा विभाग कार्यालय,
सैक्टर –7, फरीदाबाद
फोन नम्बर– 9810383271 , 0129– 2288386

अथवा

श्रीमति अलका **(**एस.एस.ए**)**,
शिक्षा विभाग कार्यालय,
सैक्टर –7, फरीदाबाद
फोन नम्बर– 8010747909

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10 रूपए के पोस्टल आर्डर के साथ पत्र भेजना है।

यदि और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हैं या ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान नही होता है तो इसके बाद जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ई.ओ.) से मिले जिनका नाम व पता है–

सतेन्द्र कौर (डी.ई.ई.ओ)
फोन नम्बर– 9711185639 ,0129 –2221971
अथवा
मनोज कौशिक (डिप्टी डी.ई.ई.ओ.)
शिक्षा विभाग कार्यालय,
सेक्टर –16, फरीदाबाद
मिलने का दिन मंगलवार समय प्रातः 10 से 1 बजे तक

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत भी उपरोक्त् कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10 रूपए के पोस्टल आर्डर के साथ पत्र भेजना है ।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के शिक्षा विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बताने होंगे। जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से आप यदि संतुष्ट नही हैं तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

विद्यालयी शिक्षा निदेशालय–प्राथमिक शिक्षा
प्लाट नम्बर 1/बी, शिक्षा सदन, प्रथम तल,
सैक्टर–5, पंचकूला ,हरियाणा
फोन नम्बर– 0129–2560269,2560453

Email : eduprimaryhry@gmail.com

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त् कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमे जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10 रूपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है।

नोट : जो भी पत्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.2 ब माध्यमिक व उच्च्च माध्यमिक शिक्षा

कक्षा 8 के बाद की पढाई के लिए, शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड बनाया गया है, जिसे विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा कहते हैं। जिसके अन्तर्गत कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक की नियमित पढाई आती है । विकलांग विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु तक समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी कानून 1995 के अर्न्तगत् निःशुल्क शिक्षा के हक्दार हैं। विद्यालय उन्हें शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं।

प्रकिया

कक्षा 9 वीं से 10 वीं तक के दाखिले अप्रैल, मई तथा जुलाई में होते हैं तथा 11वीं से 12 वीं तक के दाखिले जुलाई व अगस्त में ही होते हैं । इसके लिए आठवीं पास का प्रमाण प्ुत्र व अन्य दस्तावेज आवश्यक है व किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में कक्षा 9 वीं में दाखिला ले सकते हैं । कक्षा 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा के द्वारा एक फॉर्म भरवाया जाता है जो कि विद्यालयों के अध्यापको के द्वारा भरा जाता है । कक्षा 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा वर्ष मे दो बार सेमेस्टर के तहत् होती है तथा यदि एक बार में पास नही होते हैं तो पुनः परीक्षा देने का प्रावधान है ।

10 वीं की परीक्षा के प्रमाण पत्र पर विद्यार्थी के नाम, माता–पिता/अभिभावक का नाम व जन्मतिथि की जो प्रविष्ठी ¼लिखा हुआ½ दर्ज होती है वो ही सब स्थानों पर मान्य होती है। यदि किसी विद्यार्थी का नाम, माता–पिता/अभिभावक का नाम व जन्मतिथि गलत दर्ज हो तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा में जाकर व जो प्रविष्ठी गलत दर्ज है उसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों को जमा व दिखाकर सही करवाई जा सकती है ।

विकलांग छात्रों को विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा अपने द्वारा अयोजित किसी भी परीक्षा को देने व लेखन कार्य के लिए अतिरिक्त समय व लिखने के लिए लेखक की सुविधा प्रदान करता है। लेखक की शैक्षिक योग्यता दी जाने वाली कक्षा की परीक्षा से कम होनी चाहिए व लेखक विकलांग छात्र का रिश्तेदार नही होना चाहिए ।

कक्षा 9 से 12 वीं तक नियमित पढाई करने वाले विद्यार्थी को 750 रूपए प्रति माह वजीफा मिलता है ।

रोजगार कौशल के विकास के लिए सरकार के द्वारा निजी ,सरकारी , तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स चलाए जाते हैं ,जो कि माध्यमिक कक्षाओं से ही प्रारम्भ हो जाते हैं। जिसमें दाखिले के लिए आर्थिक तौर पर अधिक पिछड़े वर्ग जिसमें कि विकलांग बच्चों , अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यक के बच्चों को आरक्षण देकर वरीयता दी जाती है तथा लड़कियों के लिए भी 50 प्रतशित आरक्षण है।

1.3 स दूरस्थ शिक्षा/मुक्त माध्यम

ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा प्रणाली के जरिये पढाई नही कर पाते हैं उनके लिए निजी/खुले माध्यम से 10 वीं व 12वी कक्षा पास करने की व्यवस्था की गई है। इसका नियन्त्रण विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा के पास ही है ।

दाखिले की प्रकिया

निजी/खुले माध्यम से परीक्षा देने के लिए वर्ष में एक बार ऑन लाईन फॅार्म भरे जाते हैं, जिसे अभ्यार्थी को स्वयं ही कम्पयूटर पर बैठ कर भरना होता है ।

10 वीं व 12वीं की परीक्षा की प्रक्रिया :

यदि विद्यार्थी पहली बार परीक्षा दे रहा हो, तो वर्ष में एक बार ही देगा ।
यदि किसी की पुनः परीक्षा है ,तो वह वर्ष में दो बार परीक्षा देगा ।

पात्रता

- योग्यता – आयु 14 वर्ष (1फरवरी को)
- स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता–पिता द्वारा घोषित किया जायेगा कि बच्चे का नाम व जन्म तिथि सही है व यह शपथ पत्र, जो कि कोर्ट से बनता है, द्वारा दिया जाएगा।
- यदि बच्चा कभी स्कूल नही गया है तथा आयु का प्रमाण नहीं है उस अवस्था में, आयु प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से बनवा कर जमा करना होगा ।
- 12 वीं में दाखिले के लिए 10 वीं पास होना जरूरी है व उसके बाद दो वर्ष की पढ़ाई के अन्तराल के बाद ही 12वीं में दाखिला हो पायेगा ।
- 12 वीं में दाखिला लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है ।

यह व्यवस्था विकलांग बच्चे/ व्यक्ति के लिए भी है तथा नियमानुसार सुविधा भी मिलती है।

विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र खो जाता है या चोरी हो जाता है तो प्रमाण पत्र पुनः बनवाने के लिए/ माता–पिता का नाम /बच्चे की जन्म तिथि /गोद लेने के बाद, माता–पिता का नाम/अभिभावक का नाम बदलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

- फॅार्म भरना होगा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी , हरियाणा से ही मिलेगा
- पुराने प्रमाण पत्र की छायाप्रति/नकल प्रति होनी चाहिए
- अपना पुराना रोल न. फार्म पर लिखना होगा
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि नियमित विद्यार्थी है तो प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करवाना होगा
- यदि प्राईवेट विद्यार्थी हैं तो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा
  नोट : नकल प्रमाण पत्र डाक द्वारा 15–20 दिन में आयेगा ।

यदि प्रमाण पत्र तत्काल चाहिए ,तो वह व्यक्ति को स्वयं ही लेने जाना होगा।

- दो पास पोर्ट साइज फोटो ,दो पहचान साक्ष्य
- दो सौ रूपये लगेंगे व प्रमाण पत्र दो दिन में मिल जाता है।

इन सबके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा से सम्पर्क करना होगा जिसका पता है:

विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा,
हॉसी रोड, भिवानी – 127021
फोन : 01664243525, टोल फ्री नम्बर हरियाणा : 18001804171
उपसचिव – 244171 , 244176
सहायक सचिव – 244174

और अधिक जानकारी के लिए राज्य स्तर के शिक्षा विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बतानें होंगे। यदि जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से आप संतुष्ट नही हैं तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

विद्यालयी शिक्षा निदेशालय–माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा
प्लाट नम्बर 1/बी, शिक्षा सदन, प्रथम तल,
सैक्टर–5, पंचकूला ,हरियाणा ।
फोन नम्बर– 0129–2560269,2560453
Email : edusecondaryhry@gmail.com

सभी कक्षा व सभी प्रकार के वजीफे लेने के लिए जरूरी दस्तावेज –

- विकलांगता प्रमाण पत्र
- घर का स्थायी पता का साक्ष्य प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार की आय 4000 रूपए से 6000 रूपए प्रतिमाह
- अंक तालिका/कक्षा का प्रमाण पत्र

1.4 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से भी विभिन्न कक्षाओं की पढाई की जा सकती है । जिसमें मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है जो पहली से आठवी कक्षा के लिए है तथा कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है उसके बाद वह 10 वीं या 12 वीं कक्षा में दाखिला ले सकता है । यहॉ से तकनीकी व जीवन जीने की कला में काम आने वाले कोर्स भी किये जा सकते हैं। विकलांग छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान अपने द्वारा अयोजित किसी भी कक्षा की परीक्षा को देने व लेखन कार्य

के लिए अतिरिक्त समय व लिखने के लिए लेखक की सुविधा प्रदान करता है। यह अनिवार्य शर्त है कि लेखक की शैक्षिक योग्यता दी जाने वाली परीक्षा से कम होनी चाहिए व लेखक विकलांग छात्र का रिश्तेदार नही होना चाहिए। लेखक को 75 रू प्रति पेपर धनराशि भी मिलती है।

दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले ऑन लाईन फार्म भरने के द्वारा होते हैं जो कि वर्ष में दो बार भरे जाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त ओपन विद्यालयी संस्थान का पता है :

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान
ए – 24/25 , इन्स्टीटयूशनल एरिया
सेक्टर –62 , नोएडा ,गौतम बुद्व नगर,
उतर प्रदेश –201309
चेयर मैन श्री मोहित अग्रवाल
वेब साइट : **www. nios.ac.in**

1.5 उच्च शिक्षा

12 वीं से आगे की उच्च शिक्षा में विभिन्न कोर्सो से नियमित व दूरस्थ शिक्षा माध्यम के द्वारा स्नातक व स्नातोक्तर कर सकते हैं। जिसके लिए बल्लभगढ़ ब्लॅाक में एक निजी कॉलेज अग्रवाल कॉलेज, अम्बेडकर चौक के पास तिगॉव रोड पर है। इसके अतिरिक्त महिला सरकारी कॉलेज, प. जवाहर लाल नेहरू कॉलेज सैक्टर 16 ए , डी.ए.वी. कॉलेज, के एल मेहता महिला कॉलेज फरीदाबाद , सरकारी कॉलेज खेडी गुजरान, सरकारी कॉलेज तिगॉव है और ये सभी निजी व सरकारी कॉलेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मान्यता प्राप्त हैं ।

कालेज में दाखिले की प्रक्रिया

12वीं की परीक्षा के परिणाम आने के बाद विभिन्न कॉलेजों के द्वारा दाखिले के फॉर्म निकाले जाते हैं, जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा दी जाती है। फॉर्म कॉलेज से ही लेना होता है । दाखिला अंको की मैरिट के आधार पर होता है । विकलांग छात्रों को 3 % का आरक्षण है ।यह आरक्षण 1 % दिखाई से सम्बन्धित विकलांगता वाले छा़त्रों, 1 % सुनाई से सम्बन्धित विकलांगता वाले छा़त्रों तथा 1 % शारीरिक विकलांग वाले छा़त्रों के लिये है। फॉर्म कालेज में ही जमा करने है उसके बाद प्रवेश सूची निकलती है ,तब ही शुल्क जमा कराना होता है ।

अधिक जानकारी के लिए पहले सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य से मिलें व और अधिक जानकारी व शिकायत के लिए उप–कुलपति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्पर्क करें जिनका पता है :

उप–कुलपति,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,
रोहतक, हरियाणा,

फोन नम्बर –01262 308336,308340,308343

01262–274327

यदि यहॉ से भी समाधान नही होता है तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

निदेशक–उच्च शिक्षा,
उच्च शिक्षा हरियाणा ,महानिदेशालय,
प्लाट नम्बर 1/बी, शिक्षा सदन, प्रथम तल,
सैक्टर–5, पंचकूला ,हरियाणा ।
फोन नम्बर– 0129–2562042,2562029

Email: hechry@gmail.com

i. अग्रवाल कॉलेज, तिगॉव रोड बल्लभगढ़ – 0129 2241391 , 3296243 , 230834 – बी. ए. ,बी.बी.ए. , बी.सी. ए. ,बी.कॉम. , बी. एस.सी. , एम.कॉम. , एम.बी.ए.

ii. अग्रवाल कॉलेज ,ब्वॉयज विंग, मिल्क प्लांट रोड , बल्लभगढ़ –बी.ए. , बी.एड. ,बी.कॉम. , बी.एस.सी.

iii. नेहरू कॉलेज ,सैक्टर 16 ,फरीदाबाद ,फोन 222529 –बी.ए. ,बी.कॉम. , इंगलिश , हिन्दी , बी.एस. सी.

iv. डी.ए.वी. , सेन्चुरी कॉलेज , एन.आई.टी. , नम्बर. 5 , फरीदाबाद ,बी.ए. ,बी.कॉम., बी.बी,ए, , बी.सी.ए. ,एम.ए. , एम. बी. ए.

v. के. एल. मेहता दयानन्द महिला कॉलेज ,एन.आई.टी. , फरीदाबाद ,बी.बी.ए. ,बी.ए. , बी.कॉम. तथा एम कॉम

निजी बी.एड. कॉलेज

1 शिव कॉलेज आफ एजुकेशान , तिगॉव , बल्लभगढ़ 0129 – 2401039
2 बालाजी कॉलेज आफ एजुकेशन ,बल्लभगढ़ –0129 2212682
3 साईं मोहन कॉलेज ऑफ एजुकेशान , तिगॉव रोड –नीमका –6417927
4 जागृति इन्सटीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन – 9813330812
5 भारतीयम कॉलेज आफ एजुकेशन ,पन्हेडा खुर्द –2429858
6 पंडित एल.आर .कॉलेज , फतेहपुर
7 ल्यूक कॉलेज ऑफ एजुकेशन , चॉदपुर
8 सुधा रस्तोगी डेन्टल सेंटर कॉलेज – 2202958

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गॉधी अंताराष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के स्नातक व स्नातकोÙार कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं ।

दाखिले की प्रक्रिया ऑन लाईन फॉर्म भरने के द्वारा है।

नोट–जो भी प़त्र जन सूचना अधिकार के अर्न्तगत् लिख रहे हैं तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं, उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.6 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के लिए फरीदाबाद जिले में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कई निजी कॉलेज चल रहे हैं। कुछ संस्थान ऐसे चल रहे हैं, जिनको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ये सब विभिन्न प्रकार के कोर्स चला रहे हैं।

सभी निजी कॉलेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं व वहीं से मान्यता प्राप्त हैं। कई निजी कॉलेजो में से जो मुख्य हैं वे हैं :

- अरावली कॅालेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट – जसाना–तिगॉव रोड ,फ़रीदाबाद (बी.टेक. , एम.बी.ए. ,बी.बी.ए. , डिप्लोमा)
- पण्डित एल. आर. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ,गॉव– कबूलपुर, फरीदाबाद (बी.टेक , डिप्लोमा)
- गर्वरनमेन्ट पॉलीटेक्नीक् फॅार मैन , हनुमान मन्दिर के पास, सन्त सूरदास मार्ग , सैक्टर –8 फरीदाबाद (डिप्लोमा)
- गर्वरनमेन्ट पॉलीटेक्नीक् फॅार वूमैन ,हनुमान मन्दिर के पास, सन्त सूरदास मार्ग , सैक्टर –8 फरीदाबाद (डिप्लोमा)
- गुरू ग्राम बिजनेस स्कूल ,मेन सोहना –पाली रोड ,फरीदाबाद (बी.टेक. ,बी.ए. ,बी. बी.ए., एम.बी.ए.)
- दिल्ली इन्जीनियरिंग कॉलेज , गॉव–कबूलपुर, फरीदाबाद (बी.टेक)
- नेशनल पावर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट , एन.पी.टी.आई. कॉम्पलेक्स , सेक्टर 33 , फरीदाबाद (बी.टेक., एम.टेक.)
- बी. एस. अनंगपुरिया इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक., एम.टेक., बी.बी.ए. ,बी.सी.ए.)
- बिमला देवी एजुकेशनल सोसॉयटी ग्रुप ऑफ इन्सटीट्यूशन ,जे.बी. नॉलेज पार्क , मंझावली ,फ़रीदाबाद (बी.टेक., बी. बी.ए. , बी.सी.ए.)
- सतयुग दर्शन टेक्नीकल कैम्पस, भूपानी –लालपुर रोड, गॉव–भूपानी फरीदाबाद (बी.टेक. ,एम.टेक ,बी.बी.ए , पी.जी.डी. एम.)

विकलांग विद्यार्थी भी इन संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थान में जो मुख्य हैं, वे हैं :

- मानव रचना अर्न्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय
  अरावली कैम्पस, सैक्टर–43 ,दिल्ली–सूरजकुंड रोड , फरीदाबाद (ऑटो मोबाईल ,सिविल कम्पयूटर साईस एवं इन्जीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन, मेकैनिकल इन्जीनियरिंग, बॉयो टेक्नोलॉजी, बी. सी ए., एम.सी.ए., बी.ए. जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, बी.ए. ,बी.कॉम. ,एम.ए. ,एम.कॉम. ,बी.एस.सी. ,एम.एस.सी. , बी.बी.ए. ,एम.बी.ए. ,बी.पी.टी. ,एम.पी.टी. , बी.आर्च.
- लिंग्याज विश्वविद्यालय कैम्पस
  नचौली , जसाना रोड ,ओल्ड फरीदाबाद (बी.टेक. ,एम.टेक. , बी.आर्च., बी.बी.ए. , एम.बी.ए. ,बी.सी.ए. ,एम. सी.ए. , बी.एड. , एम.एड. ,बी.ए. , बी.एस.सी. , बी.कॉम. ,एम.कॉम. ,बी.एस.सी.–कृषि)
- अल फलहा विश्वविद्यालय, धौज, फरीदाबाद (बी.टेक. ,एम.टेक.)

जिले में एक सरकारी महिला पॉलीटक्नीक् सैक्टर 16, फरीदाबाद तथा कुछ निजी पॉलीटक्नीक् हैं जो कि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं । अधिक जानकारी के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा से सम्पर्क करें जिसका पता है :

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
बेज–7–12, सैक्टर–4, पंचकूला,
फोन नम्बर–0172–2583249

वाई. एम. सी. ए. सरकारी इन्जीनियरिंग कॉलेज है। कुछ निजी इन्जीनियरिंग कॉलेज भी हैं, वे भी तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा से सम्बन्धित हैं। और अधिक जानकारी के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा से सम्पर्क करें :

शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिले में एक सरकारी जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसका पता है :

जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान,
पाली गॉव ,सोहना रोड, फरीदाबाद
फोन नम्बर–0129 2480087
Email: dietpalifaridabad@yahoo.co.in

कुछ निजी संस्थान हैं जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से सम्बन्धित हैं जिसका पता है :

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा,
पंचायत भवन के सामने, सोहना रोड,
गुंडगॉव–122001
फोन नम्बर–0124 2320628
Email: scertharyana122001@gmail.com

संदर्भ सूची

शिक्षा : शिक्षा विभाग के ब्लॉक व जिला स्तर के कार्यालय, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व समेकित बाल विकास कार्यक्रम पंचायत भवन, बल्लभगढ़, कार्यालय सैक्टर–12 फरीदाबाद तथा वैब साइट :www.haryanafood.gov.in ,www.wcdhry.gov.in,www.harprathmic.gov.in,www.faridabad.nic.in,www.schooleducationharyana.gov.in,www.higheredhry.com,www.dsehry.in,www.te cheduhry.nic.in,www.hsbt.com